



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20042026-271923
CG-DL-E-20042026-271923

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 269]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 20, 2026/चैत्र 30, 1948

No. 269]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 20, 2026/CHAITRA 30, 1948

वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 293(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धाराओं 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित, लोकहित में उक्त नियम के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अंतर्गत नोटिस की आवश्यकता को समाप्त करने के पश्चात, जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 11 के उप-नियम (1) में, “स्वास्थ्य,” शब्दों के पश्चात “आयुष,” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा।

3. उक्त नियम के नियम 12 के उप-नियम (6) में, “जिला स्वास्थ्य अधिकारी,” शब्दों के पश्चात “राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के आयुष विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि,” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. एचएसएम-20/3/2025- एचएसएम]

नीलेश कुमार साह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 343(अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात इनमें अधिसूचना संख्या सा.का.नि 234(अ), तारीख 16 मार्च, 2018, सा.का.नि 129(अ), तारीख 19 फरवरी, 2019 और सा.का.नि 360(अ), तारीख 10 मई, 2019 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2026

G.S.R. 293(E).— In exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rule in public interest, hereby makes the following rules further to amend the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, namely:-

- (1) These rules may be called the Bio-Medical Waste Management (Amendment) Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, in rule 11, in sub-rule (1), after the words "Departments of Health," the word "Ayush," shall be inserted.
- In rule 12 of the said rule, in sub-rule (6), after the words "District Health Officer," the words "representative, as nominated by the State or Union Territory Department of Ayush," shall be inserted.

[F. No. HSM-20/3/2025-HSM]

NEELESH KUMAR SAH, Jt. Secy.

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 343(E), dated the 28th March, 2016 and subsequently amended vide number G.S.R. 234 (E), dated the 16th March, 2018, G.S.R. 129 (E), dated the 19th February, 2019 and G.S.R. 360(E), dated the 10th May, 2019.